स्पीड पोस्ट द्वारा

फा. सं. 4-1/2016-पी आर्ट्स
भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

द्वितीय तल, पुरातत्व भवन, डी-ब्लॉक, आई.एन.ए.,
नई दिल्ली, दिनांक : 21 अक्टूबर, 2016

सेवा में,

(कलाकार पेंशन के सभी मौजूदा लाभार्थी)

विषय : कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि के मौजूदा लाभार्थियों के संबंध में डाटा अद्यतन करना।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि के मौजूदा लाभार्थियों के आवश्यक ब्यौरे अर्थात आधार संख्या, नवीनतम पते का प्रमाण, नवीनतम आय प्रमाणपत्र आदि प्राप्त कर लाभार्थियों के डाटा अद्यतन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में इस पत्र के साथ एक प्रपत्र, आय प्रमाणपत्र का प्रारूप, जीवन प्रमाणपत्र और बैंक प्राधिकार पत्र संलग्न किया गया है।

2. अनुरोध किया जाता है कि इस प्रपत्र को भरकर यहां उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर **दिनांक 30 नवंबर, 2016** तक भिजवा दिया जाए:-

अवर सचिव (पी. आर्टस)
संस्कृति मंत्रालय
कक्ष सं. 210, द्वितीय तल
पुरातत्व भवन
डी-ब्लॉक, आईएनए, नई दिल्ली,
पिन- 110023

3. स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में उन लाभार्थियों को ही एलआईसी से पेंशन की राशि जारी की जाएगी जो नियत तारीख के अंदर विधिवत भरा गया संपूर्ण प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज भिजवा देंगे। यदि आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा गया प्रपत्र नियत तारीख के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस लाभार्थी की पेंशन इस मंत्रालय में अपेक्षित संपूर्ण सूचना और दस्तावेज प्राप्त होने तक रोक दी जाएगी।

भवदीय,

अनुलग्नक : यथोपरि

(आई. ए. कमाल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24642148

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित : सुश्री सीमा गुप्ता, प्रबंधक (पी एंड जीएस), भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं ग्रुप स्कीम विभाग, मंडलीय कार्यालय-1, वार्षिकी सैल, छठा एवं सातवां तल, जीवन प्रकाश भवन, 25, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि के तहत मौजूदा लाभार्थियों के डाटा अद्यतन करने संबंधी प्रपत्र

(सभी प्रविष्टियां मौजूदा लाभार्थी/पेंशनभोगी द्वारा भरी जानी चाहिए)

1. (क) मौजूदा लाभार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) --------------------------- ----------------------------

(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)

(ख) यदि मूल लाभार्थी की मृत्यु पर उनकी पत्नी/आश्रित के नाम पर पेंशन हस्तांतरित की गई है तो मूल लाभार्थी का नाम दर्शाएं ----------------------------------

मौजूदा लाभार्थी का पासपोर्ट आकार का नया (छ: महीने से पहले का न हो) स्पष्ट और रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना चाहिए और आवेदन प्रपत्र पर स्व अभिप्रमाणित करनी चाहिए।

2. लिंग (कृपया उचित पर (✓) सही चिह्न लगाएं)

पुरुष		स्त्री	

3. (i) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग* से है* ----------------------------

(ii) यदि शारीरिक रूप से विकलांग है : हां/नहीं*

4. राष्ट्रीयता : -------------------------------------

5. पिता/पति का नाम : ---------------------------

6. पिन कोड के साथ पूरा पता : ---

(स्व अभिप्रमाणित दस्तावेजी --

साक्ष्य की एक प्रति संलग्न करें) --- पिन-------------------------

7. संपर्क ब्यौरे : (i) सेलफोन/लैंडलाइन/फैक्स नंबर ---------------------- (ii) ई-मेल आईडी :

8. श्रेणी (कृपया उचित पर (✓) चिन्ह लगाएं)

यदि पूर्वोत्तर राज्य से है		**यदि कोई जनजातीय समुदाय के अंतर्गत आता है**		**सामान्य (पूर्वोत्तर राज्य एवं जनजातीय समुदाय के अलावा)**

9. आधार सं. (अनिवार्य) : -- (स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

10. वैवाहिक स्थिति : (i) विवाहित/अविवाहित* (ii) पति/पत्नी का नाम ----------------------

(iii) पति/पत्नी की आधार सं. ------------------------------------

11. (i) ईस्वी सन् में जन्म तिथि : (ii) 1.1.2017 को आयु : -----वर्ष -----माह-----दिन------

12. लाभार्थी की शैक्षिक योग्यताएं : ---

(प्रमाण की प्रति संलग्न करें)

13. (क) लाभार्थी का वर्तमान व्यवसाय : -----------------------------

(ख) पति/पत्नी का रोजगार और आय के ब्यौरे :---

(ग) सभी स्रोतों से लाभार्थी की वार्षिक निजी आय (पति/पत्नी की आय सहित) : -------------

(संबंधित राज्य/संघराज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाणपत्र की मूल प्रति [(अनुलग्नक-II (क)] संलग्न करें)

14. लाभार्थी पर पूर्णत: आश्रित व्यक्तियों की संख्या :-------------------------------------

नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय एवं आय

15. लाभार्थी या आश्रित सदस्य के
नाम अचल संपत्ति, यदि कोई है,
के ब्यौरे : ---

16. संस्कृति के क्षेत्र में योगदान के ब्यौरे ----------------------------------

17. सरकार अथवा अन्य प्रसिद्ध साहित्य या कला संबंधी सोसाइटी से प्राप्त पुरस्कार, मान्यता अथवा विशिष्टता के ब्यौरे
(प्रासंगिक प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करें) : --

18. (i) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हो रही मासिक पेंशन की राशि : रुपए ----------
(ii) वह तारीख जब से पेंशन प्राप्त हो रही है: ------------------------------- (संस्कृति मंत्रालय के पत्र की प्रति जिसके द्वारा प्रारंभिक लाभार्थी को पेंशन जारी की गई थी, संलग्न करना अनिवार्य है)

19. पेंशन के संवितरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम
(एलआईसी) द्वारा आबंटित वार्षिकी संख्या : ---

20. बैंक खाता ब्यौरा जिसके माध्यम से पेंशन की राशि प्राप्त हो रही है :
(i) बैंक खाता संख्या --
(ii) बैंक नाम : --------------------- (iii) बैंक शाखा : ------------------------
(iv) आईएफएस कोड : ------------------------- (v) एमआईसीआर कोड : -----------------------
(विधिवत भरे और हस्ताक्षरित निर्धारित बैंक प्राधिकार पत्र (अनुलग्नक-IV) जिसे संबंधित बैंक प्रबंधक द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया गया हो, संलग्न किया जाए। (मूल में)

21. क्या लाभार्थी भारत सरकार/राज्य सरकार से कोई अन्य अनुदान अथवा पेंशन प्राप्त कर रहा है और यदि ऐसा है तो राशि आदि के ब्यौरे : ------------------------------------

22 (i) क्या आयकरदाता है : हां/नहीं* (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) : -------------------

23. मैं सत्यनिष्ठा से अभिपुष्टि करता हूं कि : -
(i) मैं एक अभावग्रस्त कलाकार हूं और मेरी आय अत्यल्प है अथवा मेरी और मेरे परिवार की आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोत से कोई सहायता प्राप्त नहीं है। मेरे परिवार की संपूर्ण आय 4000/- रुपए (चार हजार रुपए केवल) प्रति माह या उससे अधिक नहीं है।
(ii) दिनांक 01.01.2017 को मेरी आयु -------------- वर्ष है।
(iii) मैं घोषणा करता हूं, कि मुझसे संबंधित उपर्युक्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और मैं संस्कृति मंत्रालय के नियमों और 'कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि' के प्रावधानों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं। कोई भी झूठी सूचना देने/तथ्य को छुपाए जाने की स्थिति में मैं उचित दंडात्मक कार्रवाई सहित अपनी पेंशन रोके जाने के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

(iv) मुझे मेरी आधार संख्या को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के साथ लिंक करने और इस संबंध में बैंक/सरकारी विभाग के साथ इसके ब्यौरे बांटने में कोई आपत्ति नहीं है।

(v) यदि मैं बारह महीने में एक बार जीवन प्रमाण (कम्प्यूटर द्वारा निकाला गया डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र) अथवा औपचारिक जीवन प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-III) प्रस्तुत नहीं करता हूं तो सरकार को मेरी पेंशन रोकने तथा यदि मेरे खाते में पहले से ही पेंशन राशि जमा हो गई है, तो उस राशि को वापस लेने का अधिकार है।

स्थान : ------------------------

तारीख : ----------------------------

(मौजूदा लाभार्थी के हस्ताक्षर
अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

(*जो लागू नहीं है उसे काट दें)

टिप्पणी : **1. प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट और साफ रूप से भरी होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।**

2. प्रपत्र में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र संलग्न किए जाने चाहिए।

<u>अनुलग्नक-II (क)</u>

आय प्रमाणपत्र

क्रम सं./ज्ञापन सं. : -------------------------------- **तारीख : ---------------------**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती --------------------- पुत्र, पुत्री, पत्नी------------------------ निवासी --- की प्रति वर्ष संपूर्ण पारिवारिक आय ---------------------- रुपए (--रुपए) है। उनका वर्तमान व्यवसाय -------------------------- है। उनका अन्य व्यवसाय और आय नहीं हैं और उनके परिवार में कमाने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है।

स्थान :
तारीख :

जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी की मुहर और
पूरे पते के साथ हस्ताक्षर

टिप्पणी : विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी की सूची अनुलग्नक-II (ख) में दी गई है।

अनुलग्नक-II (ख)

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
1	अंडमान एवं निकोबार	तहसीलदार
2	आंध्र प्रदेश	तहसीलदार
3	अरुणाचल प्रदेश	जिला मजिस्ट्रेट एवं क्लेक्टर
4	असम	राजस्व सर्किल अधिकारी
5	बिहार	सर्किल कार्यालय के सर्किल अधिकारी
6	चंडीगढ	उप मंडल मजिस्ट्रेट
7	छत्तीसगढ़	नायब तहसीलदार
8	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली	मामलातदार, दमन एवं मामलातदार, दीव
9	दिल्ली	एसडीएम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
10	गोवा	सभी तालुका के मामलातदार
11	गुजरात	जिला कलेक्टर/उप कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/प्रान्त अधिकारी/मामलातदार
12	हरियाणा	सीआरओ (संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार)
13	हिमाचल प्रदेश	तहसीलदार, राजस्व विभाग
14	जम्मू और कश्मीर	उप मंडल मजिस्ट्रेट(तहसीलदार की श्रेणी से नीचे स्तर का न हो।)
15	झारखण्ड	प्रत्येक जिले में उप मण्डल अधिकारी
16	कर्नाटक	तहसीलदार
17	केरल	ग्राम अधिकारी
18	लक्षद्वीप	अगात्ती और मिनिकॉय में उप कलेक्टर तथा शेष द्वीपों में एसडीओ
19	मध्य प्रदेश	तहसीलदार/नायब तहसीलदार
20	महाराष्ट्र	तहसीलदार
21	मणिपुर	प्रभारी जिला अधिकारी डीसी/एडीसी/एसडीओ (एसडीओ/एसडीएम की श्रेणी से कम का न हो)
22	मेघालय	सरकारी कर्मचारी के मामले में नियोक्ता और अन्य के मामले में सांसद/विधायक/डीसी/एसडीओ सिविल द्वारा
23	मिजोरम	जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी
24	नागालैंड	उपायुक्त, अपर उपायुक्त और उप मंडल अधिकारी (सी)
25	ओडिशा	राजस्व अधिकारी
26	पंजाब	सीआरओ (संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार)
27	पांडिचेरी	तहसीलदार, उप तहसीलदार
28	राजस्थान	तहसीलदार

<table>
<tr><td>29</td><td>सिक्किम</td><td>विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (ब्लॉक विकास अधिकारी, ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग)</td></tr>
<tr><td>30</td><td>तमिलनाडु</td><td>क्षेत्रीय उप तहसीलदार</td></tr>
<tr><td>31</td><td>त्रिपुरा</td><td>संबंधित जिलों के उपायुक्त</td></tr>
<tr><td>32</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>तहसीलदार</td></tr>
<tr><td>33</td><td>उत्तराखंड</td><td>तहसीलदार/एसडीएम/सिटी मजिस्ट्रेट</td></tr>
<tr><td>34</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td>
<table>
<tr><td>1. जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट- जिला स्तर

2. संबंधित उप मंडल अधिकारी- उप मंडल स्तर
3. संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक विकास अधिकारी- ब्लॉक स्तर</td><td></td></tr>
<tr><td>4. कलेक्टर, कोलकाता-</td><td>कोलकाता क्षेत्र के भीतर नगर निगम</td></tr>
<tr><td>5. कलेक्टर, कोलकाता-</td><td>माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के सिविल क्षेत्राधिकार के भीतर रह रहे विद्यार्थी</td></tr>
<tr><td>6. कोलकाता पुलिस द्वारा शामिल अन्य क्षेत्र अर्थात् ऐसे क्षेत्र जिन पर कलेक्टर, कोलकाता का क्षेत्राधिकार नहीं है-</td><td>संबंधित जिलों अर्थात दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

* शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को अभी पदनामित किया जाना है।

अनुलग्नक- III

जीवन प्रमाण-पत्र

(कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि के तहत अनुमोदित लाभार्थी/पेंशनभोगी द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------------------ वार्षिकी संख्या (भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आबंटित) ----------------------- का धारक है, को मैंने देखा है और वह इस तारीख को जीवित है।

1. अनुमोदित लाभार्थी/पेंशनभोगी का वर्तमान पता :
2. दूरभाष/मोबाइल नं. (यदि कोई है तो) :
3. ई-मेल पता (यदि कोई है तो) :
4. आधार सं. :

(मौजूदा लाभार्थी/पेंशनभोगी के हस्ताक्षर
अथवा बाएं हाथ का अंगूठा निशान)

जीवन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु
प्राधिकृत अधिकारी# के हस्ताक्षर)
नाम :
पदनाम :
मुहर :

स्थान :
तारीख :

 # जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नीचे निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से किया जाना है :-

(i) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;
(ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त पंजीयक या उप-पंजीयक;
(iii) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी;
(iv) पुलिस अधिकारी जिनका पद एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी उप-निरीक्षक के नीचे न हो;
(v) डाकपाल, विभागीय उप डाकपाल अथवा डाक घर निरीक्षक
(vi) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम श्रेणी का अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या इसके अनुषंगी का अधिकारी (द्वितीय श्रेणी के अधिकारी सहित);
(vii) पेंशनभोगी अधिकारी जिन्हें सेवानिवृत्ति के पहले मजिस्ट्रेट का अधिकार प्राप्त हो
(viii) जस्टिस ऑफ पीस
(ix) खंड विकास अधिकारी, मुन्सिफ, तहसीलदार या नायब तहसलीदार;
(x) ग्राम पंचायत या ग्राम की कार्यकारी समिति का प्रमुख
(xi) संसद, राज्य विधायिका, संघ राज्यक्षेत्र विधायिका, सरकार/प्रशासन का सदस्य
(xii) कोषाधिकारी

अनुलग्नक-IV

बैंक प्राधिकार-पत्र

(मैं...) संस्कृति मंत्रालय द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता हूं। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता के ब्यौरे	**ब्यौरा**
वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक खाते में नाम के अनुसार	
पता	
जिला एवं पिन कोड राज्य	
पैन संख्या	
टेलीफोन नम्बर एस टी डी कोड सहित	
मोबाइल नम्बर	
ई-मेल पता	
बैंक ब्यौरे	
बैंक का नाम	
बैंक शाखा (पूरा पता व टेलीफोन नं.)	
बैंक खाता संख्या	
खाते का प्रकार	
उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण का तरीका - ईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी	
आई एफ एस सी कोड	
एम आई सी आर कोड	
क्या खाते को आधार संख्या से जोड़ा गया है	

हस्ताक्षर...

व्यक्ति का नाम...

खाता संख्या और आईएफएससी / एमआईसीआर कोड मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और इन्हें ऊपर सही रूप से दर्ज किया गया है।

प्रबंधक*

(बैंक शाखा जहां खाता है)

*(बैंक के प्रबंधक द्वारा नीली स्याही में हस्ताक्षर किया जाए)।

(मोहर)